

28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति	प्राप्त करने वाला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6.	कोई अध्याय	इस्तेमाल किए गए वाहन, जब्त की गई वस्तु, पुरानी और प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्कैप	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कोई प्राधिकृत व्यक्ति"

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 36/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1285(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) after S. No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Any Chapter	Used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap	Central Government, State Government, Union territory or a local authority	Any registered person

[F. No. 354/117/2017-TRU (Pt. III)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 37/2017-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1286(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, उन वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ

अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में केन्द्रीय कर की दर तथा स्तंभ (5) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करती है, यथा:-

तालिका

क्रम सं.	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू केन्द्रीय कर की दर का 65%	1
2	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू केन्द्रीय कर की दर का 65%	2

2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

- (1) इस अधिसूचना में उल्लिखित, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष, अध्याय से है।
- (2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोट्स और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल हैं, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे।

अनुबंध

शर्त सं.	शर्त
1	मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 1 जुलाई, 2017 के पहले पट्टे पर दिया हो।
2	i. मोटर वाहन का आपूर्ति कर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति हो। ii. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

रूचि विष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 37/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1286(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the central tax on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, at the

rate specified in corresponding entry in column (4) and subject to relevant conditions annexed to this notification, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid:

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	87	Motor Vehicles	65% of central tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate) dated, 28 th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i), vide G.S.R. 673(E) dated the 28 th June, 2017.	1
2.	87	Motor Vehicles	65% of central tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate) dated, 28 th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i), vide G.S.R. 673(E) dated the 28 th June, 2017.	2

2. Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after 1st July, 2020.

Explanation –For the purposes of this notification, -

- “Tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1 st July, 2017 and supplied on lease before 1 st July, 2017
2.	i. The supplier of Motor Vehicle is a registered person. ii. Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1 st July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles

[F. No. 354/117/2017-TRU (Pt. III)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 46/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1287(अ).—केन्द्रीय सरकार अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 27 जून, 2017, सा.का.नि. 647(अ), तारीख 27 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- शब्द “पचत्तर लाख रुपये” के स्थान पर “एक करोड़ रुपये” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- शब्द “पचास लाख रुपये” के स्थान पर “पचत्तर लाख रुपये” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव